an>

Title: The Minister of state in the Ministry of Home Affairs laid a statement correcting reply to unstarred question no. 1207 dated 28.07.2015 regarding (i) statue of Netaji Subhash Chandra Bose and (ii) Giving reasons for delay in correcting the answer.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ:-

(एक) 'नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की प्रतिमा' के बारे में श्री विष्णु पद राय, संसद सदस्य द्वारा 28.07.2015 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1207 के दिए गए उत्तर में शुद्धि करने; और

(दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलंब के कारण बताने के बारे में।

शुद्धिः

उत्तर दिए गए प्रश्न का भाग	के लिए	पढ़ें
(क) और (ख)	जी, हां। भारत संघ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य के मामले में वर्ष 2006 की एस.एल.पी. सं. 8519 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18.01.2013 के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस प्रतिमा स्थापना समिति द्वारा दिनांक 27.09.2014 को सरकारी राजस्व भूमि पर डाल्फिन चौक, दिगलीपुर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा लगाई गई थी।	जी, हां। भारत संघ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य के मामले में वर्ष 2006 की एस.एल.पी सं. 8519 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18.01.2013 के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नेताजी सुभाष चन्द्र बोस प्रतिमा स्थापना समिति द्वारा दिनांक 27.09.2014 को सर्वेक्षण संख्या 193/1 वाली सरकारी राजस्व भूमि, जिसका कुल क्षेत्रफल 0.0101 हेक्टेयर है, पर सुभाषग्राम बाजार, दिगलीपुर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा लगाई गई थी।
(ग) और (घ)	जी, नहीं। उपर्युक्त (क) और (ख) में दिए गए उत्तर के मद्देनजर उसी स्थान पर प्रतिमा लगाने का को प्रस्ताव नहीं है।	जी, नहीं। उपर्युक्त (क) और (ख) में दिए गए उत्तर के मद्देनजर उसी स्थान पर प्रतिमा लगाने का को प्रस्ताव नहीं है।

विलम्ब का कारण

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की प्रतिमा के संबंध में दिनांक 28.7.2015 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1207 का उत्तर तैयार करते समय अंडमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से सूचना मागी गई थी। अंडमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया था कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस प्रतिमा स्थापना समिति द्वारा दिनांक 27.9.2015 को सर्वेक्षण सं. 193/1 वाली सरकारी राजस्व भूमि, जिसका कुल क्षेत्रफल 1.0101 हेक्टेयर है, पर डाल्फिन चौक, दिगलीपुर में प्रतिमा लगाई गई थी, जो कि भारत संघ बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य के मामले में वर्ष 2006 की एसएलपी सं. 8519 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 18.1.2013 के निर्देशों का उल्लंघन है। तदनुसार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार अतारांकित प्रश्न का उत्तर दिया गया था। तब दिनांक 28.7.2015 के अतारांकित प्रश्न सं. 1207 के तहत पूर्व में दिए गए उत्तर को संशोधित करने की प्रक्रिया आरंभ हुई।

अब, अंडमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने सूचित किया है कि स्थितिपरक रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय, चूक के कारण, गलती से यह उल्लेख किया गया था कि प्रतिमा सुभाषग्राम बाजार, दिगलीपुर के स्थान पर डाल्फिन चौक, दिगलीपुर में लगाई गई थी।

असुविधा के लिए खेद है।

12.13 Â½ hours

STATEMENTS BY MINISTERS...Contd.